प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा दावा

प्रलिम्सि के लयि:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)।

मेन्स के लयि:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत बैंक खाताधारकों को प्रदान कयि गए दुर्घटना बीमा कवर हेतु पछिले दो वत्तिीय वर्षों में दायर कयि गए 647 दावों में से केवल 329 का नपिटान कयिा गया है।

- वत्ति वर्ष 2021-22 में **341 दावे** दायर कयि गए, जनिमें से **182 का नपिटान** कयिा गया और 48 को खारजि कर दयिा गया एवं वत्ति वर्ष 2022-23 में 306 दावे दायर कयि गए, **जनिमें से 147 का नपिटान कयिा गया व 10 को खारजि कर दयिा गया, इसके अलावा शेष 149 दावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।**

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:

- **परचिय:**
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) **वत्तिीय समावेशन के लयि राष्ट्रीय मशिन** है। यह **वत्तिीय सेवाओं, अर्थात् बैंकगि/बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडटि, बीमा, पेंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनश्चिति करता है।**
  - इस योजना के तहत कसिी भी बैंक शाखा या **बज़िनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मति्र)** आउटलेट में उन लोगों का एक **मूल बचत बैंक जमा (Basic Savings Bank Deposit- BSBD)** खाता खोला जा सकता है, जनिके पास कोई अन्य खाता नहीं है।
- **उद्देश्य:**
  - वभिन्नि वत्तिीय सेवाओं जैसे- बुनयिादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारति ऋण तक पहुँच, प्रेषण सुवधि, बीमा एवं पेंशन की बहष्कृित वर्गों यानी कमज़ोर वर्गों तथा नमि्न-आय वाले समूहों तक पहुँच सुनश्चिति करना।
  - यह सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय नकिाय से) को लाभार्थयिों के खातों के माध्यम से प्रदान करने और केंद्र सरकार की **प्रतयक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना** को आगे बढ़ाने की परकिल्पना करता है।
  - इस योजना के तहत वत्तिीय समावेशन के लयि टेलीकॉम ऑपरेटरों और कैश आउट पॉइंट्स के रूप में स्थापति केंद्रों के माध्यम से मोबाइल लेन-देन का भी उपयोग करने की योजना है।
- **PMJDY तहत लाभ:**
  - **PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशबिनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है** तथा जमा राशपिर ब्याज भी अर्जति कयिा जाता है।
    - **PMJDY खाताधारक** को **रुपे डेबटि कारड** प्रदान कयिा जाता है।
  - पात्र खाताधारकों को **10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुवधि** उपलब्ध है।
- **PMJDY का दायरा:**
  - **PMJDY खाताधारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT),** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), माइक्रो यूनटि्स डेवलपमेंट एंड रफिाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के पात्र हैं।

- **PMJDY के तहत बीमा सुविधा:**
    - यह अपने खाताधारकों को बीमा कवर प्रदान करता है।
        - **जीवन बीमा कवर: PMJDY** खाताधारक **2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर** के लिये पात्र हैं जो **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)** के तहत प्रदान किया जाता है।
        - **दुर्घटना बीमा कवर: PMJDY** खाताधारक **2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर** के लिये भी पात्र हैं जो **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** के तहत प्रदान किया जाता है।
    - **PMJJBY** और **PMSBY** दोनों बीमा कवर **330 रुपए प्रतिवर्ष** और **12 रुपए प्रतिवर्ष** क्रमशः मामूली प्रीमियम पर प्रदान किये जाते हैं।
        - इन बीमा कवरों के लिये प्रीमियम वार्षिक आधार पर **PMJDY खाताधारक** के खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाता है।
        - मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये दुर्घटना बीमा कवर सभी PMJDY खाता धारकों को दिया जाता है, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएँ हैं। खाताधारकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
    - **शर्त:**
        - दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) किया हो। हालाँकि यह स्थिति फाइलिंग दावों को कठिन बनाती है।
- **PMJDY के समक्ष चुनौतियाँ:**
    - **जागरूकता की कमी:** सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग PMJDY के लाभों से अवगत नहीं हैं। यह भागीदारी की कमी को इंगित करता है और कार्यक्रम के प्रभाव को सीमित करता है।
    - **सीमित बुनियादी ढाँचा:** कई दूरस्थ क्षेत्रों में ATM और बैंक शाखाओं सहित पर्याप्त बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे लोगों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाना मुश्किल हो जाता है।
    - **सीमित संसाधन:** बहुत से लोग जो PMJDY के लिये पात्र हैं, उनके पास बैंक खाते खोलने हेतु ID प्रमाण, पता प्रमाण एवं आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम की पहुँच को सीमित करता है और इसकी प्रभावशीलता को कम करता है।
    - **नकद लेन-देन पर निर्भरता:** देश के कई हिस्सों में लोग अभी भी अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिये नकद लेन-देन पर निर्भर हैं। यह डिजिटल भुगतान के उपयोग को सीमित करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में PMJDY की प्रभावशीलता को कम करता है।
- **भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिये अन्य पहलें:**
    - डिजिटल पहचान (आधार)
    - वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
    - वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
    - ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
    - डिजिटल भुगतान का प्रचार

आगे की राह

- सरकार डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कार्यक्रम के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न मीडिया चैनलों का उपयोग कर सकती है, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में जहाँ सूचनाओं तक लोगों की पर्याप्त पहुँच नहीं है।
- यह वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिये दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक बैंक शाखाओं और ATM स्थापित करने का भी कार्य कर सकती है।
- साथ ही इस कार्यक्रम के तहत बैंक खाते खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- ऐसे मामलों में जिसमें लाभार्थी यह साबित कर सकता है कि वह बीमारी अथवा यात्रा जैसे कारणों की वजह से उस समय अवधि के दौरान कार्ड का उपयोग करने में असमर्थ था, **सरकार इस शर्त पर छूट दे सकती है कि उक्त व्यक्ति ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम-से-कम एक सफल लेन-देन किया हो।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

?????:

प्रश्न. बैंक खाते से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिये इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिये उचित तर्क दीजिये। **(2016)**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/insurance-claims-under-pmjdy